जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, 2017

के

ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में संशोधन हेतु निर्देश

(संदर्भ :– विज्ञापन सं.:रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/2018/64 दिनांक 08.02.2018)

1. अभ्यर्थी अपने आवेदन में दिनांक 02.07.2018 से दिनांक 16.07.2018 की मध्यरात्रि (11:59 बजे) तक ऑनलाईन संशोधन कर सकेंगे। उक्त तिथि आगे नहीं बढ़ाई जायेगी अतः अभ्यर्थी, अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित तिथि से पूर्व ही संशोधन कर लेवें।
2. अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने पूर्व आवेदन पत्र के प्रिन्ट–आउट के विवरण को अपने ऑनलाईन फॉर्म के विवरण से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रिन्ट–आउट व ऑनलाईन फार्म के विवरण/दस्तावेज समान हैं। यदि इनमें अन्तर हो तो अभ्यर्थी इसे संशोधित कर लें। इसके अतिरिक्त भी यदि अभ्यर्थी चाहे तो पूर्वोक्त विवरण में संशोधन कर सकता है।
3. अभ्यर्थी स्वयं द्वारा पूर्व में अपलोड अंकतालिका की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर मिलान कर लें। अभ्यर्थी अपने पूर्व में अपलोड किये गये फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन/परिवर्तन नहीं कर सकेगें।
4. अभ्यर्थी सर्वप्रथम वेबसाईट https://sso.rajasthan.gov.in/sign पर जाकर अपनी SSO ID एवं पासवर्ड की प्रविष्टि करेंगे तत्पश्चात् वहां उपलब्ध आईकन Recruitment Portal पर क्लिक करने पर My Applications दर्शित होगा। जिस पर Recruitment for Class IV Employee-(Class IV Employee)-(RHC) पर Edit Application का लिंक उपलब्ध होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा Edit Application बटन पर क्लिक करने पर, अभ्यर्थी के उस मोबाईल नम्बर, जो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय अपने आवेदन फॉर्म में अंकित किया गया था, पर सिस्टम द्वारा एक ओ.टी.पी. (One Time Password) प्राप्त होगा।
6. प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि करने पर ही अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन फॉर्म को संशोधित कर अन्तिम रूप से Submit कर सकेंगे।
7. अभ्यर्थी हेतु यह आवश्यक होगा कि वह अपने संशोधित किए गए फॉर्म का प्रिन्ट आउट निकाल कर भविष्य के संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखे।
8. अभ्यर्थी सिर्फ एक बार ही अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। एक बार संशोधन किये जाने के पश्चात् किसी भी तरह के संशोधन/सुधार/रूपान्तरण किये जाने की अनुमति नहीं होगी एवं ना ही इस हेतु किसी आवेदन पर विचार किया जायेगा ।
9. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने उक्त पद हेतु अलग–अलग Application ID Number से, एक से अधिक आवेदन फॉर्म भरे हैं, उनके पूर्ववर्ती आवेदन/आवेदनों को निरस्त कर अंतिम आवेदन को ही मान्य रखा गया है अतः वे अपने अंतिम आवेदन फॉर्म में ही संशोधन कर सकेंगे।

10. अभ्यर्थीगण को अपनी SSO ID एवं Application ID No. सुरक्षित रखने थे परन्तु फिर भी वे अभ्यर्थी जो अपनी SSO ID एवं Application ID No. सुरक्षित नहीं रख सके हैं अतिरिक्त सुविधा के तौर पर उन्हें आवेदन फॉर्म में उनके द्वारा अंकित मोबाईल नम्बर पर उक्त SSO ID एवं Application ID No. जरिये SMS प्रेषित किये जा रहे हैं, इनके द्वारा अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित तिथि तक, सिर्फ एक बार संशोधन कर सकते हैं।
11. निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी दशा में संशोधन के संदर्भ में प्रस्तुत किसी भी आवेदन–पत्र/प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें SMS प्रेषण की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गयी है परन्तु किसी अभ्यर्थी को SMS नहीं मिलने के आधार पर उसके पक्ष में कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं होगा।
13. अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यक फील्ड्स, जिनमें संशोधन किया जाना हो, को ही संशोधित करें।
14. ऑनलाईन फॉर्म में संशोधन करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है एवं अभ्यर्थी को ई–मित्र संचालक को भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।

रजिस्ट्रार (परीक्षा)